

(मेस संचालन हेतु ई-निविदा के नियम एवं शर्तें)

हकीम सैयद जियाउल हसन शासकीय (स्वशासी) यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के महिला छात्रावास में वर्तमान में निवासरत 100 छात्राओं एवं अधिकतम 180 छात्राओं के लिए भोजन व्यवस्था के संबंध में मेस संचालन हेतु ई-निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, जो कि <https://mptenders.gov.in> पर निर्धारित समयावधि में उपलब्ध है। निविदा प्रस्तुत करने के नियम निर्देश एवं शर्तें महाविद्यालय की वेबसाइट www.gumcbhopal.in पर भी प्रदर्शित हैं।

1. ई-निविदा प्रपत्र प्राप्त करने एवं जमा करने की अंतिम तिथि 20/10/2020 को सायं 05.00 बजे तक है। एवं खोले जाने की अंतिम तिथि दिनांक 21/10/2020 सायं 05.00 बजे है। ई-निविदा बिड दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं हैं।
2. इच्छुक ई-निविदाकर्ता ऑनलाइन mptenders.gov.in से ई-निविदा राशि रु. 1000/- का भुगतान कर सकते हैं, जिसको mptenders.gov.in पर तकनीकी एवं वित्तीय निविदा पृथक-पृथक ऑनलाइन सबमिट की जाना है।
3. ई.एम.डी.राशि रुपये 25000.00 शब्दों में (पच्चीस हजार मात्र) जिसे ई-पेमेंट के माध्यम से mptenders.gov.in पर tender सबमिट करते समय पेमेंट करना होगा। ई.एम.डी.राशि सफल निविदाकार को अनुबंध होने पर नियमानुसार वापस की जावेगी, शेष निविदाकारों की ई.एम.डी.राशि mptenders.gov.in के माध्यम से लौटा दी जावेगी। सफल निविदाकार को निष्पादन प्रतिभूति राशि (अनुबंध राशि के 3 प्रतिशत राशि रुपये 37000.00 तक) बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से महाविद्यालय में जमा करना होगी। निष्पादन प्रतिपूर्ति राशि बिना ब्याज के अनुबंध समाप्त होने पर वापस लौटा दी जावेगी। म.प्र.के एम.एस.एम.ई, लघु उद्यम तथा स्टार्टअप को ई.एम.डी. राशि के भुगतान में छूट रहेगी। ई.एम.डी.राशि छूट प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेज ई-निविदा में अपलोड करना अनिवार्य है।
4. निविदाकर्ता फर्म को किसी शासकीय संस्थान में कम से कम 150 व्यक्तियों की मेस/कैंटीन संचालन का 2 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक होगा जिसका प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के अभिलेखों के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। म.प्र.के एम.एस.एम.ई, लघु उद्यम तथा स्टार्टअप को अनुभव में छूट रहेगी। अनुभव छूट प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेज ई-निविदा में अपलोड करना अनिवार्य है।
5. निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2024-25/2025-26 का टर्न ओवर न्यूनतम 20 लाख होना आवश्यक है, जिसके साक्ष्य के रूप में वित्तीय वर्ष 2024-25/2025-26 का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित टर्नओवर सर्टिफिकेट तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है।
6. GST पंजीयन पत्र की छायाप्रति तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है।

निविदाकर्ता के पास स्वयं अथवा फर्म का पैन नंबर होना चाहिये जिसकी प्रतिलिपि तकनीकी निविदा के अभिलेखों के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

8. तकनीकी निविदा के परीक्षण में सफल निविदाकारों की ही वित्तीय निविदायें खोली जावेगी।
9. सफल निविदाकर्ता को म.प्र. स्टॉप अधिनियम के नियमों के अनुसार निर्धारित राशि के नॉन ज्युडीशियल स्टॉप पर अनुबंध करना होगा।
10. निविदा/अनुबंध कार्य आदेश तिथि से (05) पांच वर्ष के लिए होगा। जो कि प्रतिवर्ष कार्य संतोषजनक होने पर शर्तों का पालन न करने की स्थिति में समय से पूर्व भी अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। निविदा में एल-1 दरों को प्रतिवर्ष वार्षिक मंहगाई दर बढ़ने के साथ-साथ 5 प्रतिशत एल-1 राशि बढ़ाई जा सकेगी, जो कि प्रत्येक वित्तीय सत्र में जुलाई माह से लागू होगी।
11. निविदाकर्ता को मीनू अनुसार संपूर्ण दिवस की चाय दोपहर का भोजन, स्वल्पाहार, रात्रि का भोजन सम्मिलित कर एकजाई दर प्रतिमाह प्रति-छात्रा के हिसाब से वित्तीय निविदा के निर्धारित प्रपत्र (b0q) एक्सल शीट में शब्दों एवं अंकों में अंकित करना है।
12. सफल निविदाकर्ता द्वारा कार्यादेश का कुछ भाग या पूर्ण भाग अन्य किसी ठेकेदार/व्यक्ति को नहीं सौंपेगा। यदि किसी निविदाकर्ता द्वारा किसी अन्य फर्म/व्यक्ति को कार्य सौंपता है, या कार्य कराता पाया जाता है तो उसका अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर निष्पादन प्रतिभूति राशि राजसात की जावेगी एवं संबंधित फर्म को Black Listed किया जायेगा, जिसमें किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं किया जावेगा तथा एल- 02 निविदाकर्ता को कार्य आदेश दिया जावेगा।
13. निविदाकर्ता के पास स्थानीय निकाय से खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अन्तर्गत प्रारूप (ख) नियम-5 अंतर्गत कैंटरिंग/पका भोजन प्रदाय करने संबंधी लायसेंस अथवा भारत सरकार फूड्स सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड अथारिटी ऑफ इंडिया का लायसेंस एफ.एस.एस. एक्ट 2006 विनियम 2011 के फार्म सी में होना अनिवार्य होगा जिसकी छायाप्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। सफल निविदाकार को 01 माह में संस्थागत स्थित फूड लायसेंस बनवाये जाकर संस्था में प्रस्तुत करना एवं निर्धारित मैस की बाह्य दीवार पर चस्पा करना अनिवार्य है।
14. यह निविदा केवल दरें निर्धारित करने हेतु जारी की जा रही है। निर्धारित दरों पर भोजन प्रदाय करने एवं उसके एवज में छात्राओं से राशि प्राप्त करने की जिम्मेदारी स्वयं भोजन प्रदायकर्ता की रहेंगी।
15. नियमानुसार GST अन्य समस्त कर जमा करने का दायित्व निविदाकर्ता का होगा तथा अन्य समस्त कर जमा संबंधी दस्तावेज (चालान की प्रति) संस्थान के कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
16. निविदाकर्ता द्वारा भोजन व्यवस्था में लगाए गए कर्मचारियों से संबंधित नियमानुसार बीमा दुर्घटना क्षतिपूर्ति आदि की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी।
17. भोजन व्यवस्था से संबंधित सामग्री की गुणवत्ता/सेवा में कमी/निविदा शर्तों के उल्लंघन अथवा अन्य पर्याप्त कारणों से बिना सूचना के अनुबंध निरस्त करने का अधिकार प्रधानाचार्य ह.सै.जि.ह. यूनानी शासकीय स्वशासी महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल को होगा।



निविदाकर्ता को भोजन व्यवस्था निर्धारित स्थल पर ही तैयार कर एवं संस्था की छात्रावास समिति द्वारा निर्धारित संलग्न मीनू के अनुसार प्रतिदिन पृथक-पृथक नाश्ता व भोजन उपलब्ध कराना होगा, भोजन अथवा नाश्ता बाहर से पका हुआ नहीं परोसा जायेगा।

19. भोजन के लिए प्रयुक्त सामग्री मानक स्तर संलग्न सूची अनुसार (प्रतिष्ठित ब्राण्ड/एगमार्क/आईएसआई) की होना अनिवार्य है जिसका आकस्मिक निरीक्षण संस्था की छात्रावास समिति द्वारा किया जा सकेगा। भोजन की गुणवत्ता में कमी पाई जाने पर समिति की अनुशंसा पर तत्काल अनुबंध समाप्त कर नई व्यवस्था की जावेगी।
20. सब्जियाँ ताजी होना चाहिये जिसका निरीक्षण समिति द्वारा किया जावेगा। भोजन एवं नाश्ता प्रतिदिन ताजा तैयार कर प्रदाय करना होगा, बचे हुए नाश्ता भोजन का उपयोग किसी भी परिस्थिति आगामी दिवस अथवा लंच का डिनर में उपयोग मान्य नहीं होगा।
21. भोजन व्यपस्था में उपयोग किये जा रहे बर्तन प्लेट, चम्मच, कटोरी, गिलास इत्यादि की व्यवस्था एवं सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। भोजन प्रबंध समिति द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अस्वच्छता पाई जाने पर भोजन समिति की अनुशंसा पर निविदाकर्ता पर समुचित आर्थिक दण्ड रुपये 5000/- लगाया जा सकेगा।
22. भोजन निर्माण में पूर्ण सावधानी एवं स्वच्छता रखनी होगी। खराब सामग्री का उपयोग पाये जाने की स्थिति में छात्रावास समिति की अनुशंसा पर रुपये 5000/- अर्धदण्ड राशि निविदाकर्ता को संस्था में करानी होगी।
23. रसोई गैस (वाणिज्यिक/कमर्शियल) चुल्हाभट्टी आदि की व्यवस्था एवं उनसे संबंधित सुरक्षा निविदाकर्ता को स्वयं करनी होगी। (लकड़ी, चूल्हा एवं हीटर पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा) भोजन निर्माण से लेकर प्रशिक्षणार्थियों को भोजन परोसने की समस्त व्यपस्था निविदाकर्ता को स्वयं करना होगी।
24. भोजन निर्माण एवं परोसने के लिये आवश्यक बर्तनों की व्यवस्था निविदाकर्ता को ही करनी होगी।
25. छात्राओं अथवा छात्रावास समिति से भोजन से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्ति की दशा में उसका तत्काल समाधान करना होगा अन्यथा अनुबंध निरस्त किया जायेगा। शिकायत दर्ज करने हेतु मेस में एक शिकायत एवं सुझाव रजिस्टर रखना होगा।
26. निविदाकर्ता को विभाग/संस्था द्वारा भुगतान नहीं किया जावेगा। निविदाकर्ता द्वारा प्रशिक्षणार्थियों से भुगतान की राशि प्राप्त करने की जवाबदारी होगी।
27. भोजन व्यवस्था हेतु संस्था की छात्रावास समिति के निर्देशों का पालन निविदाकर्ता को बंधनकारी होगा।
28. छात्रावास समिति के सदस्यों द्वारा भोजन निरीक्षण के दौरान अथवा छात्रा से यदि मेस में कार्यरत किसी कर्मचारी द्वारा किसी प्रकार की अभद्रता की जाती है तो ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी को तत्काल मेस से हटाना होगा अन्यथा निविदाकर्ता का अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
29. छात्राओं की मेस में भोजन एवं अन्य व्यवस्था में 100 प्रतिशत महिला कर्मचारी होना आवश्यक है। सभी मेस कर्मी यूनीफार्म में रहेंगे। सभी मेस कर्मी सौम्य एवं सभ्य होना चाहिए। कार्य करने वाले कर्मियों का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र तथा पुलिस

स्थापन प्रमाण पत्र निविदाकार द्वारा प्रस्तुत करना होगा। तथा इनके यूनिफार्म की व्यवस्था निविदाकार द्वारा ही की जावेगी। यूनिफार्म पर नाम की पट्टी का लगाना अनिवार्य होगा।

30. छात्रावास में छात्राओं को भोजन के लिए समय निर्धारित किया गया है यदि कोई प्रशिक्षणार्थी विशेष परिस्थिति में भोजन प्राप्त करने से रह जाती है और वह भोजन मांगने आते है तो उसे भोजन प्रदायकर्ता द्वारा भोजन प्रदाय करना अनिवार्य होगा इसको लिये छात्राओं को पूर्व में सूचना देना आवश्यक होगा।
31. संस्था की छात्रावास समिति माह के प्रथम सोमवार को भोजन व्यवस्था पर समीक्षा करेगी तथा औचक निरीक्षण भी कर सकती है जिसमें आवश्यकता अनुसार सुझाव एवं सुधार के निर्देश निविदाकर्ता/उसके प्रतिनिधि को पंजी पर दर्ज करवाये जावेगें। तथा दिये गये निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में दंडात्मक कार्यवाही (अर्थदण्ड) की जावेगी।
32. भोजन की गुणवत्ता/स्वाद/मीनू अनुसार भोजन प्रदाय न करना/बासी भोजन का उपयोग करना या अन्य किसी कारण से यदि संस्था से कोई चेतावनी पत्र जारी होता है तो वह अंतिम होगा, जिसके निराकरण की सीमा 3 दिवस होगी। व्यवस्था होने या कुछ दिन उपरान्त पुनः वही स्थिति निर्मित होने पर बगैर सूचना के अनुबंध निरस्त किया जावेगा, तथा सम्पूर्ण धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी, साथ ही निविदाकर्ता फर्म का नाम काली सूची में अंकित कर भविष्य में निविदा में भाग लेने से वंचित किया जावेगा।
33. लंच एवं डिनर के पश्चात् किचिन एवं डायनिंग हाल के फर्श एवं फर्नीचर की सफाई प्रतिदिन अनिवार्य रूप से करनी होगी। अस्वच्छता पाये जाने की स्थिति में 1000 रुपये प्रतिकार्य दिवस के रूप में अर्थदण्ड वसूला जा सकेगा।
34. भोजन का देयक छात्राओं की छात्रावास में वास्तविक उपस्थिति के आधार पर छात्राओं द्वारा ही देय होगा। 07 दिवस या उससे अधिक अनुपस्थित रहने की स्थिति में कुल मासिक देयक में 25 प्रतिशत की छूट निविदाकर्ता फर्म द्वारा प्रदान करनी होगी।
35. भोजन तैयार करने हेतु शुद्ध पानी की व्यवस्था निविदाकर्ता को स्वयं करना होगी।
36. किसी भी प्रकार के विवाद हेतु न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।
37. कंसोर्टियम मान्य किया जावेगा।
38. विशेष कारण उपस्थित होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
39. भोजन प्रदायकर्ता को किचन, स्टोर रूम, डायनिंग हॉल, वॉश ऐरिये में लगा फर्नीचर उपयोग करने की अनुमति दी जावेगी। रुपये 10000/- दस हजार रुपये प्रतिमाह मेंटेनेंस शुल्क के रूप में प्रदाय करना होगा।
40. निविदाकर्ता को कंवल लाइट कूलर पंखे ग्राइन्डर चलाने हेतु बिजली प्रदाय की जावेगी जिसका शुल्क सब मीटर की रीडिंग के आधार पर छात्रावास समिति द्वारा निर्धारित किया जावेगा।
41. खाना तैयार करने वाले वर्कर साफ सुथरी ड्रेस में तथा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने वाले होने चाहिए। नाश्ता एवं भोजन छात्रावास समिति द्वारा निर्धारित समय-सारणी अनुसार ही चालू रखने की अनुमति दी जावेगी।

- समग्री निम्नानुसार ब्राण्ड की ही उपयोग में लाना होगा। उपयोग करने के पूर्व समग्री का अवलोकन छात्रावास समिति को कराने के पश्चात् उपयोग में लावें।
43. उक्तानुसार ई निविदा शर्तों के पालन में विफल संस्था का तत्काल अनुबंध समाप्त कर नई व्यवस्था की जावेगी, निष्पादन प्रतिभूति राशि राजसात कर विफल संस्था पर नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
44. नियमों में किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर अंतिम निर्णय अद्योहस्ताक्षरकर्ता का मान्य होगा।

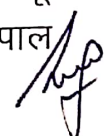
1	आटा (पेकेट)	उच्च गुणवत्तापूर्ण (लोकवन/शरबती)
2	चावल	कम्पनी ब्रांडेड (दुबराज/बासमति)
3	खाद्य तेल	कम्पनी ब्रांडेड (सरसों तेल)
4	नमक	टाटा/अन्नपूर्णा/भास्कर
5	चाय/कॉफी	कम्पनी ब्रांडेड
6	दालें	तीन इक्का (तुअर दाल)
7	मसाला	एगमार्ग मसाले
8	अचार	निलान्स/किसान
9	बिसकिट	ब्रिटानिया/पारले/गुड्डे
10	पनीर	ताजा
11	दूध	ताजा
12	सब्जी	ताजी







प्रधानचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ह.सै.जि.ह. शासकीय/स्वशासी यूनानी
चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल



कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
हकीम सैयद ज़ियाउल हसन, शासकीय (स्वशासी) यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय
 (कोलार-नेहरू नगर बायपास रोड, मेनित के पीछे, भोपाल 462003)
 Web: www.gumcbhopal.in ई.मेल: gumcbhopal@gmail.com दूरभाष क्रं. -0755-2970354

मेन्यू प्रपत्र

क्र.	दिन	ब्रेकफास्ट	लंच	स्नेक्स	डिनर
1	सोमवार	चाय स्पेशल आलू पराठा	आलू गोभी ड्राय पालक सूची राब्जी दाल चावल रोटी सलाद सलाद + अचार + पापड	चाय स्पेशल	राजमा की सब्जी कड़ी पकौड़ी बैंगन का भर्ता चावल रोटी सलाद सलाद + अचार + पापड
2	मंगलवार	चाय स्पेशल फाइड इडली	राजमा की सब्जी कड़ी पकौड़ी बैंगन का भर्ता चावल रोटी सलाद सलाद + अचार + पापड	चाय स्पेशल	भिण्डी की सब्जी अरहर दाल आलू शिमला मिर्च सब्जी, चावल रोटी सलाद + अचार + पापड
3	बुधवार	चाय स्पेशल पोहा/सैंडविच	भिण्डी की सब्जी अरहर दाल आलू शिमला मिर्च सब्जी, चावल रोटी सलाद + अचार + पापड	चाय स्पेशल	मिक्सवेज मिक्स दाल मशरूम की सब्जी चावल रोटी सलाद + अचार + पापड
4	गुरुवार	चाय स्पेशल पुड़ी(घटनी)/ आलू सब्जी सूखी	आलू मैथी, लौकी की सब्जी दाल चावल रोटी सलाद + अचार + पापड	चाय स्पेशल	सोयाबीन ग्रेवी सब्जी मटर पनीर दाल चावल रोटी सलाद + अचार + पापड
5	शुक्रवार	चाय स्पेशल गोभी/मैथी/पालक/बथुआ पराठा	मिक्सवेज मिक्स दाल मशरूम की सब्जी चावल रोटी सलाद + अचार + पापड	चाय स्पेशल	आलू गोभी ड्राय पालक सूची राब्जी दाल चावल, रोटी सलाद सलाद + अचार + पापड
6	शनिवार	चाय स्पेशल सिवइयों/बड़ा सांभर	सोयाबीन ग्रेवी सब्जी मटर पनीर दाल चावल रोटी सलाद + अचार + पापड	चाय स्पेशल	आलू मैथी, लौकी की सब्जी दाल चावल रोटी सलाद + अचार + पापड
7	रविवार	चाय स्पेशल इडली-सांभर/आलू बड़ा	छोले भटूरे पालक पनीर दाल + रायता : खीर चावल रोटी सलाद + अचार + पापड	चाय स्पेशल	मिक्सवेज मिक्स दाल गुलाब जामुन चावल रोटी सलाद + अचार + पापड

उपरोक्त मैनु अनुसार भोजन देना अनिवार्य है एवं उक्त भोजन की व्यवस्था बफे सिस्टम आधार पर की जायेगी।

(Signature)
 25/8/24

(Signature)

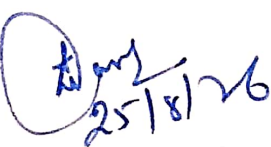
(मेस संचालन हेतु ई-निविदा का प्रपत्र -01)

1. निविदाकर्ता फर्म का नाम
2. फर्म के मालिक का नाम पिता का नाम
3. वर्तमान निवास का पता
4. दूरभाष / मोबाईल नम्बर
5. GSTIN NO
6. जीवित गुमास्ता नं. संबंधित कार्य का
7. पैन कार्ड नं.
8. ई. एम.डी. राशि अंकों में शब्दों में
9. निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2024-25 / 2025-26 का टर्न ओवर न्यूनतम रूपये 20 लाख होना आवश्यक है जिसके साक्ष्य के रूप में वित्तीय वर्ष 2024-25 / 2025-26 की आयकर विवरणी की प्रति बैलेंस शीट, लाभ-हानि पत्रक (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित) तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 / 2025-26 की आयकर विवरणी निविदा के अभिलेखों के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
10. निविदाकर्ता के पास स्थानीय निकाय से खाद्य अपभ्रंश निवारण अधिनियम 1954 के अन्तर्गत प्रारूप (ख) नियम-05 अंतर्गत केटरिंग / पका भोजन प्रदाय करने संबंधी लायसेंस अथवा भारत सरकार फूड्स सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड अथारिटी ऑफ इंडिया का लायसेंस एफ.एस.एस. एक्ट 2003 विनियम 2011 के फार्म सी में होना अनिवार्य होगा जिसकी छायाप्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
11. निविदाकार फर्म किसी शासकीय / अशासकीय / अर्धशासकीय संस्था ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए इस हेतु शपथ पत्र राशि रु. 100.00 एक सौ मात्र के नॉन ज्युडीशियल स्टॉप पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. निविदाकर्ता फर्म को किसी शासकीय संस्थान में कम से कम 150 व्यक्तियों की मेस / कैन्टीन संचालन का 2 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक होगा जिसका प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के अभिलेखों के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर.....

निविदाकर्ता का नाम.....





// चैक-लिस्ट //

उपरोक्त वर्णित नियम शर्तों अनुसार निम्न दस्तावेजों को तकनीकी निविदा प्रपत्र-01 अनुसार ऑनलाइन mptender.gov.in पर सबमिट करते समय आवश्यक रूप से अपलोड किया जाना है :-

क	दस्तावेज का नाम	संलग्न हाँ/नहीं
01	जीवित गुमास्ता संबंधित कार्य का होना आवश्यक है जिसकी छाया प्रति	
02	पैन कार्ड की छाया प्रति	
03	जी.एस.टी.पंजीयन पत्र की प्रति (जी.एस.टी.जमा सम्बंधी विगत 02 वित्तीय वर्षों का ऑनलाईन पत्रक तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ संलग्न करना अनिवार्य है)	
04	निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2024-25/2025-26 का टर्न ओवर न्यूनतम 20 लाख होना आवश्यक है जिसके साक्ष्य के रूप में चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित टर्नओवर सर्टिफिकेट की प्रति निविदा के अभिलेखों के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।	
05	ई.एम.डी.राशि की ई-प्रिंटेड प्रति (प्रधानाचार्य हकीम सैयद जियाउल हसन शासकीय/स्वशासी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के नाम से) अथवा एम.एस.एम.ई.पंजीयन प्रमाण पत्र	
06	निविदाकार फर्म किसी शासकीय/अशासकीय/अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए इस हेतु शपथ पत्र राशि रु. 100.00 एक सौ मात्र के नॉन ज्युडीशियल स्टॉप पर नोटराइज शपथ पत्र की प्रति	
07	निविदाकर्ता के पास स्थानीय निकाय से खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अन्तर्गत प्रारूप (ख) नियम-5 अंतर्गत केटरिंग/ पका भोजन प्रदाय करने संबंधी लायसेंस अथवा भारत सरकार फूड्स सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड अथॉर्टी ऑफ इंडिया का लायसेंस एफ.एस.एस. एक्ट 2006 विनियम 2011 के फार्म सी में होना अनिवार्य होगा जिसकी छायाप्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।	
08	निविदाकर्ता फर्म को सिकी शासकीय संस्थान में कम से कम 150 व्यक्तियों की मेस/कैंटीन संचालन का 2 वर्ष का अनुभव होना जिसका प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के अभिलेखों के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।	

नोट :-चैक लिस्ट के सरल क-01 से 08 तक के अभिलेखों के आधार पर ही तकनीकी निविदा का विश्लेषण किया जावेगा। इन्ही अभिलेखों के आधार पर तकनीकी निविदा मान्य/अमान्य की जायेगी इनके अतिरिक्त किन्ही अन्य अभिलेखों को विचार क्षेत्र में नहीं लिया जावेगा।

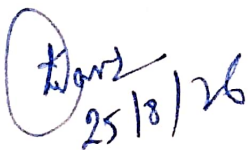
निविदाकर्ता के हस्ताक्षर.....

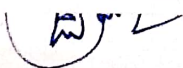
निविदाकर्ता का नाम.....

मोबाईल नं.






25/8/26









// शपथ - पत्र //

मैं पिता श्री.....

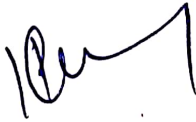
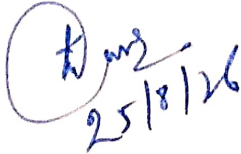
..... निवासी

..... उम्र वर्ष शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि ह.सै.जि.ह.शा.यूनानी महाविद्यालय भोपाल के महिला छात्रावास के मेस संचालन हेतु निविदा में दी गई समस्त शर्तों का पूर्ण होशो-हवास में अध्ययन कर लिया है जिसकी समस्त शर्तें मुझे मान्य हैं। एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज वैधानिक हैं एवं किसी भी शासकीय संस्था द्वारा मेरी फर्म को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है। निविदा की शर्तों का पालन नहीं करने एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज त्रुटिपूर्ण पाये जाने की स्थिति में यदि मेरी निविदा/अनुबंध निरस्त की जाती है, तो मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

गवाह/साक्षी के हस्ताक्षर
 गवाह/साक्षी का नाम
 मोबाइल नं०

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
 निविदाकर्ता का नाम
 मोबाइल नं०

नोट :-उक्त शपथ पत्र राशि रु 100.00 एक सौ मात्र के नॉन ज्युडीशियल स्टांप पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

s.n.	Name Of Work	Per Head Rate Monthly
01	छात्रावास में निवासरत 100 छात्राओं हेतु संलग्न मैनु अनुसार भोजन व्यवस्था प्रति छात्रा की दर	
02	छात्रावास में निवासरत 101 से 180 छात्राओं हेतु संलग्न मैनु अनुसार भोजन व्यवस्था प्रति छात्रा की दर	

[Signature]

[Signature]

[Signature]
25/8/26